UPMP010006172026

न्यायालय District & Session Judge, Mainpuri

जमानत प्रार्थना पत्र सं–266/2026

मोनू उर्फ मानवेन्द्र पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम लोधई थाना सहपऊ जिला हाथरस।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/वादी

आदेश

1– प्रार्थी/अभियुक्त मोनू उर्फ मानवेन्द्र की ओर से मुकदमा अपराध सं० 310/2025 अन्तर्गत धारा 305 ए,331(4),317(2) बी०एन०एस० थाना औंछा , जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक तहरीर के अनुसार इस प्रकार है कि'' प्रार्थी मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप वर्मा थाना औंछा मैनपुरी का मूल निवासी है। दिनांक 14/15–12–2025 की रात्रि समय लगभग 1 बजे मेरी(देव ज्वैलर्स)दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा सटर काटकर सोने व चाँदी के रखे आभूषणों की अलमारी को चोरों द्वारा चुरा ले गये उक्त अलमारी में 200 ग्राम सोने के आभूषण जिन पर मोहर P.S,B.L.S.S.B J,N.B,A.K,20 कैरेट की मुहर व 15 से 20 किलो चाँदी के आभूषण जिन पर L.A, XM170, LNS, JD, YASH70, KL91,शिवम 100 मोहर के अलमारी व सोने व चांदी सहित चोरों द्वारा दुकान से निकालकर चुरा ले गये व विपिन गुप्ता पुत्र राजवीर गुप्ता निवासी कस्बा व थाना औंछा जनपद मैनपुरी की दुकान श्री सांई ज्वैलर्स जसराना रोड औंछा से दुकान का सटर काटकर दुकान में रखी तिजौरी तोड़कर अलमारी में रखे सोने व चाँदी के आभूषण जो सोने का वजन लगभग 120 ग्राम जिन पर मुहर GR,RB है तथा चाँदी के आभूषण जिन का वजह लगभग 12 किलोग्राम मुहर A.K 70, राजा, HR70, राघव OM व नकद 2,50,000/– रूपए जो अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिये गये आभूषण की सूची वाद में अवगत करा देंगे। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।''

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में आधार प्रस्तुत करते हुये तर्क दिया गया है कि वादी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूंठा एवम रंजिशन फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने के सम्बन्ध में कोई भी स्वतन्त्र स्पष्ट एवम निष्पक्ष चश्मदीद गवाह नहीं है एवम न ही किसी भी सी.सी.टी.वी फुटेज आदि में प्रार्थी/अभियुक्त को देखा अथवा पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को मात्र संदेह के आधार पर उक्त घटना में नामित किया गया है। प्रार्थी की उक्त प्रकरण में कोई भी भूमिका नहीं है। पुलिस द्वारा जो माल प्रार्थी/अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद होना दिखाया गया है उसका प्रार्थी से कोई सम्बन्ध नहीं है एवम न ही बरामद माल वादी मुकदमा के माल से मेल खाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट

में नामित अभियुक्त नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद नियमित रूप से न्यायालय उपस्थित आयेगा तथा न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगा। प्रार्थी विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी अपनी स्थानीय एवम उचित जमानत देने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्राथमिकी वादी मुकदमा द्वारा अज्ञात के रूप में दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त राजेन्द्र के बताने के अनुसार पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ मानवेन्द्र को गिरफ्तार करना बताया गया है। केस डायरी के अवलोकन करने तथा अभियुक्त मोनू उर्फ मानवेन्द्र से उसकी जामा तलाशी लेने पर उसके पहनी पेन्ट की बायीं जेब से 5,000/–रूपए नकद सभी पाँच सौ के नोट व एक बेंगनी कलर छोटे पर्स निशा ज्वैलर्स लिखा है को खोलकर देखा गया तो पीली धातु का एक मंगलसूत्र का लॉकेट जिस पर एन.बी.मार्का लिखा है। एक लॉकेट पीली धातु जिस पर आर.एस लिखा है व अंगूठी पीली धातु जिस पर बी.एल.जे.1883 लिखा है व नाक की बाली पीली धातु बरामद हुई तथा कार की तलाशी के दौरान अभियुक्त मोनू उपरोक्त ने कार के पीछे की डिग्गी से एक काले रंग की पॉलीथीन निकालकर दी जिसमें एक जोड़ी पाजेब सफेद धातु जिस पर ए.के.एस मार्का लगा है व एक जोड़ी पाजेब सफेद धातु जिस पर एल.एन.एस मार्का लगा है तथा उसी पॉलीथीन से कुल 90,000/–नकद जिससे पांच–पॉच सौ के 140 नोट व 200 के 100 नोट बरामद हुए तथा गाड़ी के अन्दर से दो नम्बर प्लेट बरामद हुई। अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्त राजेन्द्र सिंह,अरूण, हरिओम,कालिया व भवानीशंकर के साथ मिलकर दिनांक 14/15–12–2025 की रात्रि को दो ज्वैलर्स की दुकान का सटर काटकर सोने व चाँदी के रखे आभूषणों को चुराना बताया गया है। अभियुक्त के पास से प्राप्त आभूषणों विभिन्न मार्का के सोने व चाँदी की हैं,बरामद होना कहा गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपनी दुकान से 200 ग्राम सोने के आभूषण 20 कैरिट मुहर के तथा 15 से 20 किलोग्राम चांदी व 100 मुहर व अन्य सोने व चांदी के आभूषण चुराने की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त को अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर जगह–जगह भिन्न–भिन्न स्थानों पर भी चोरी करना बताया गया है जिससे सम्बन्धित चोरी के सामान भी बरामद होना कहा गया। अभियुक्त का कृत्य तथा उसके पास से बरामद माल आभूषण को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त **मोनू उर्फ मानवेन्द्र** द्वारा जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(अच्छेलाल सरोज)

दिनाँकः13–03–2026 कृते जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी

अनिल कुमार अग्रवाल,

ACHCHHE LAL SAROJ
Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.03.13 16:58:25 +0530

पी.ए